क्रम-संख्या—653

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्सशुदा पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 17 सितम्बर, 1985

भाद्रपद 26, 1907 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 16/8/सत्रह-वि-1-1 (क)-36-1985

लखनऊ, 17 सितम्बर, 1985

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1985 पर दिनांक 17 सितम्बर, 1985 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1985 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1985

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1985)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा।

(2) यह 9 मार्च, 1985 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 24 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 24 में,—

(क) उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण को पुनः संख्यांकित करके स्पष्टीकरण—एक कर दिया जायगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण—एक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—दो—जहां किसी व्यक्ति ने वर्ष 1980 में गठित विधान सभा के सदस्य के रूप में ऐसी अवधि तक कार्य किया हो जो पांच वर्ष से अधिकतम तीन मास से कम हो, वहां इस धारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जायगा कि उस व्यक्ति ने पांच वर्ष के लिये सदस्य के रूप में कार्य किया है।";

(ख) उपधारा (2) में, खण्ड (एक) में, शब्द "स्पष्टीकरण" के स्थान पर शब्द "स्पष्टीकरण—एक" रख दिया जायगा।

आज्ञा से,

बी० एल० लूम्बा,

सचिव।

No. 1678(2)/XVII-V-1—1(KA)36-1985

Dated Lucknow, September 17, 1985

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Utt ar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Uplabdhiyan Aur Pension) (Sanshodhan) Ad hiniyam, 1985 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 28 of 1985) as passed by the Uttar Pr a desh Legislature and assented to by the Governor on September 17, 1985.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 1985

(U. P. ACT NO. 28 OF 1985)

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1985.

(2) It shall be deemed to have come into force on March 9, 1985.

Amendment of section 24 of U.P. Act no. 23 of 1980.

2. In section 24 of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980,—

(*a*) in sub-section (1), the Explanation shall be re-numbered as Explanation I and *after* the Explanation I as so re-numbered the following Explanation shall be *inserted*, namely :

"*Explanation* II—Where a person has served as a member of the Assembly, constituted in the year 1980, for a term which falls short of five years by a period not exceeding three months, then such person shall, for the purpose of this section, be deemed to have served as a member for five years." ;

(*b*) in sub-section (2), in clause (i), *for* the word "Explanation" the word and figure "Explanation I" shall be *substituted*.

By order,

B. L. LOOMBA,

Sachiv.

पी० एस यू० पी०—ए० पी० 160 सा० (विधा०)—(1922)—1985—850 (मेक०)।